उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–95 / छः–पु0–9–18–20(10)(9) / 89टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 18 जनवरी,2018

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (अधिनियम सं0–2, सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की लिखित विषयों की सेमेस्टर प्रणाली की प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर तथा परम्परागत पद्धति की अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा जनवरी,2018 के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 19.01.2018 से दिनांक 15.02.2018 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें संबंधित केन्द्र जिसके वे अधीक्षक हैं की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक को प्रदान की जा सकती हैं।

ओ0पी0 वर्मा
सचिव।

संख्या– 95 (1) / छः–पु0–9–2018,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को दिनांक– जनवरी,2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–(ख) में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की 10 प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।

संख्या– 95 (2) / छः–पु0–9–2017,तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ को उनके अर्द्ध शा0पत्र संख्या–235 / एससीवीटी / से0प्र0अ0भा0व्या0परी0 / जनवरी,2018 / ईएक्स–005 दिनांक 10.01.2018 के संदर्भ में।
(4) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(5) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।
(6) समस्त केन्द्र अधीक्षक, द्वारा–व्यवसायिक परीक्षा परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ।
(7) गोपन अनुभाग–2
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(पद्माकर शुक्ला)
अनु सचिव।